174/2016

अपील सूचना अधिकार संख्या 174/2016 अनवानी पृथ्वीराज पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी वार्ड न0 12, चक 48एलएनपी, पो0 बीझवायला, तहसील पदमपुर बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

21–03–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री पृथ्वीराज उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री पृथ्वीराज ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2016 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर से निम्न सूचना चाही थी:–

1. आवेदक द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.2015 विषय चक 48 एलएनपी तहसील पदमपुर मे सीएडी द्वारा पक्का खाला निर्माण करवाने के प्रार्थी के म0न0 30 में सरकारी खाला पर से पेड कमेटी द्वारा पेड कटवाये गये खाला निर्माण होने बाद 24 मुरबा खाला बनने के बाद भी कलक्टर साहब द्वारा प्रार्थना पत्र 28.05.2015 में मौके पर जाचं कर रिपोर्ट देने बाबत उसमें 24 मुरबा खाले पर कितने पेड़ से जारी या बिना मंजूरी के उठाए।
2. 28.06.2016 को निलामी नही होने पर आत्माराम द्वारा मुझे फसाने के चक्कर में उप–तहसील बीझवालया में प्रार्थना पत्र दिया था उस की रिपोर्ट मुझे एसडीएम साहब पदमपुर से सबूत पेश करने के लिए चाहिए मैनें पहले पहले भी 27.5.2015 को 35एफ171790 पोस्ट आर्डर पर व 25.07.2016 को राजस्थान सम्पर्क पर दिया था।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना तहसीलदार, पदमपुर द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है और न ही कोई उत्तर दिया गया है। इस प्रकार तहसीलदार पदमपुर द्वारा जान बूझकर सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। इसलिए उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाकर दण्डित किया जावे एवं चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर ने अपना प्रतिवेदन संख्या राजस्व/17/28 दिनांक 02.02.2017 निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:–

1. जंहा तक बिन्दु संख्या 01 का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रकरण में पटवारी हल्का से मौका की जांच करवाई गई थी व रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 11.05.2015 अनुसार मौका पर कुल छः पेड (पांच शीशम, एक खेजडी) के पेड बिना मंजूरी काटे गये, जिसे कुर्क किया गया तत्पश्चात धारा 186 आरटीए का प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के यहां प्रस्तुत किया गया। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.05.2016 द्वारा निर्णित करते हुये प्रतिवादीगण को कुल 100 रूपये से दण्डित किया गया। भू.अ. निरीक्षक व पटवारी रिपोर्ट निर्णय दिनांक 18.05.2016 की छायाप्रतियां संलग्न है।
2. जहां तक बिन्दु संख्या 02 का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में निवेदन है कि उप तहसीलदार बीझवायला द्वारा पत्रांक 06 दिनांक 16.07.2017 द्वारा अवगत करवाया गया है कि श्री आत्माराम द्वारा कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2016 को नही दिया गया है। पत्र की चित्रप्रति संलग्न है।

तहसीलदार द्वारा उक्त प्रतिवेदन की प्रति अपीलार्थी को भी पत्र सं0 29 दिनांक 02.02.17 के द्वारा भिजवाई गई है।

21/4/17
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए प्रश्नात्मक रूप में है फिर भी तहसीलदार द्वारा उसे सूचना खोजकर, तैयार कर भेजी जा चुकी है। इस प्रकार तहसीलदार पदमपुर दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

7/17-18
31/3/17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। तहसीलदार, पदमपुर को आदेश दिया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का नियमानुसार निर्धारित समय सीमा में ही निस्तारण किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) पदपमुर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर